



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274235
CG-DL-E-07072026-274235

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3522]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3522]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3684(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात जिसे आयकर अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के साथ पठित इसकी अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 30] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, "राष्ट्रीय कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल) द्वारा स्थापित "कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (पैन: AAAJN1263G)" जो एक मान्यता प्राप्त क्लियरिंग निगम है, को उक्त क्रमांक के समक्ष उल्लिखित आय के संबंध में, कर वर्ष 2026-2027 के लिए और उससे आगे के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथा:

(क) राष्ट्रीय कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल) आयकर अधिनियम की अनुसूची III के नोट 11 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्लियरिंग निगम बना रहता है; और

(ख) यदि कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में जमा कोई राशि, जिस पर किसी कर वर्ष के दौरान आयकर नहीं लगाया गया है, निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ पूर्णतः या आंशिक रूप से साझा की जाती है, तो इस प्रकार साझा की गई संपूर्ण राशि को उस कर वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें ऐसी राशि साझा की गई है और तदनुसार, उस पर आयकर लगाया जाएगा;

(ग) कोर सेटलमेंट गारंटी फंड आयकर अधिनियम की धारा 263 के अनुसार आय विवरणी दाखिल करेगा।

3. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 30] के अंतर्गत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

[सं. 79 /2026 / फा. सं.197/39/2018-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

S.O. 3684(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 30] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act), the Central Government hereby notifies the “Core Settlement Guarantee Fund (PAN: AAAJN1263G) set up by National Commodity Clearing Limited (NCCL)”, a recognized clearing corporation, in respect of the income referred against the said serial number, for the tax Year 2026-2027 onwards.

2. This notification shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) the National Commodity Clearing Limited (NCCL) shall continue to be recognized as a clearing corporation by the Securities and Exchange Board of India in terms of Note 11 to Schedule III of the Income-tax Act; and

(b) where any amount standing to the credit of the Core Settlement Guarantee Fund and not charged to income-tax during any tax year is shared, either wholly or in part with the specified person, the whole of the amount so shared shall be deemed to be the income of the tax year in which such amount is so shared and shall, accordingly, be chargeable to income-tax; and

(c) the Core Settlement Guarantee Fund shall furnish return of income in accordance with section 263 of the Income-tax Act;

3. Failure to comply with the above conditions shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 30] read with section 11 of the Income-tax Act and initiation of proceedings under the said Act.

[No. 79 /2026 / F.No.197/39/2018-ITA-1]

HARDEV SINGH, Under Secy.